

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2020

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

Total No. of Questions : 12

No. of Printed Pages : 05

कुल प्रश्नों की संख्या : 12

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 05

First Question Paper

प्रथम प्रश्न-पत्र

CIVIL LAW & PROCEDURE

व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे

पूर्णांक – 100

Time – 3:00 Hours

Maximum Marks – 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of any question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form or at any place of Answer Book that may be distinguished/ identified to the candidate from others, is strictly prohibited and shall in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of answers must be clear & legible. If the writing on Answer Book is not clear or illegible in view of Valuer (s) then the valuation of such Answer Book may not be considered.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो ऐसी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./
प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks/
अंक

CONSTITUTION OF INDIA

भारत का संविधान

1. What are the implied limitations on the power of parliament to amend the constitution? Discuss citing relevant provisions of law and case laws. 8
1. संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्तियों की विवक्षित सीमाएं क्या हैं ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों की सहायता से व्याख्या करें। 8
2. A) What are the protections available to accused under Constitution of India? 4
- B) Whether every judgment passed by Hon'ble Supreme Court of India has binding effect? Critically examine and cite exceptions, if any? 4
- अ. भारतीय संविधान के अन्तर्गत अभियुक्त को क्या-क्या संरक्षण प्राप्त है ? 4
- ब. क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक निर्णय का बंधनकारी प्रभाव है ? आलोचनात्मक परीक्षण करें तथा अपवाद, यदि कोई हो, तो लेख करें। 4

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

3. A) Whether an appeal is maintainable against the award of Lok Adalat? Discuss with relevant law and case laws. 4
- B) Whether power of review is an inherent power? Discuss with relevant provisions of law? 4
- अ. क्या लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील पोषणीय है? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों की सहायता से व्याख्या करें। 4
- ब. क्या पुनर्विलोकन की शक्ति एक अन्तर्निहित शक्ति है ? विधि के सुसंगत प्रावधानों के साथ व्याख्या करें। 4
4. Who can file appeal against decree? Discuss with relevant provisions and case laws. Who is aggrieved person entitled to file an appeal? Can one of the several plaintiffs or defendants obtain reversal of whole decree? If so, when? 8

4. डिक्री के विरुद्ध अपील कौन कर सकता है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों की सहायता से व्याख्या करें। अपील दायर करने के लिए "पीड़ित व्यक्ति" कौन है ? क्या कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक पूरी डिक्री को उलटवा सकेगा? यदि हाँ, तो कब ? 8

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

5. What will be the effect of transfer of immovable property made without consideration with intent to defraud a subsequent transferee ? Discuss. 8
5. पश्चातवर्ती अन्तरिती को कपटपूर्वक अपवंचित करने के आशय से, प्रतिफल के बिना किये गये स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण का क्या प्रभाव होगा ? व्याख्या करें। 8
6. Define the doctrine of subrogation? What are the different kinds of subrogation? 8
6. प्रत्यासन के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है ? प्रत्यासन कितने प्रकार का होता है ? 8

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

7. Explain the effect on the liability of surety regarding payment of debt, in case of acknowledgment of liability by principal debtor. 8
7. ऋणी द्वारा दायित्व की अभिस्वीकृत किए जाने पर प्रतिभू के ऋण अदायगी के दायित्व पर प्रभाव का वर्णन करें। 8
8. Parties can restrict the legal rights and remedies available to them by entering into an agreement. Discuss the statement. Discuss the concept of choice of jurisdiction vis-a-vis Section 28 of the Indian Contract Act. 8
8. पक्षकार अनुबंध करके उन्हें उपलब्ध विधिक अधिकारों व उपचारों को निर्बन्धित कर सकते हैं। इस कथन की व्याख्या करें। संविदा पर अधिनियम की धारा-28 के संदर्भ में अधिकारिता के चयन की संकल्पना की व्याख्या करें। 8

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
(Chapter I, II & VI to VIII)

9. A) Explain preventive injunction and its governing provision? 5
- B) Examine whether perpetual injunction can be granted in the following cases- 3
- 1) Where plaintiff prays that his standing crop is likely to be harvested very soon by defendant?
- 2) Where injunction prayed for, is for enforcement of an obligation arising from breach of contract, which cannot be specifically enforced?
- 3) Where alternative efficacious remedy is available ?
9. अ. निषेधात्मक व्यादेश एवं इसे शासित करने वाले प्रावधान की व्याख्या करें। 5
- ब. क्या निम्न मामलों में शाश्वत व्यादेश दिया जा सकता है परीक्षण करें :- 3
- 1) जहाँ वादी प्रार्थना करता है कि बहुत शीघ्र प्रतिवादी उसकी खड़ी फसल को काटने वाला है।
- 2) जहाँ इप्सित व्यादेश, संविदा भंग से उत्पन्न ऐसी बाध्यता के प्रवर्तन हेतु है जिसका विनिर्दिष्टः पालन प्रवर्तनीय नहीं है।
- 3) जहाँ वैकल्पिक प्रभावकारी उपचार उपलब्ध है।

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963
(Part II & III)

10. "The right of a party entitled to get relief from consequences of fraud or mistake cannot be affected by lapse of time." Discuss. 8
10. कपट या त्रुटि के परिणामस्वरूप अनुतोष प्राप्त करने के पक्षकार के अधिकार समय व्यतीत होने से प्रभावित नहीं हो सकते हैं ? व्याख्या करें। 8

HINDU MARRIAGE ACT, 1955**हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955****(Sections – 5, 9, 10, 13A, 13B, 24 to 27)**

11. A) Mohan, a Hindu male and Maria, a Christian woman, who had got married just six months earlier, mutually filed a divorce petition under Section 13-B of Hindu Marriage Act, 1955. Decide citing relevant provision of law. 4

B) Discuss the legal status of second marriage, if a Hindu marries second time after getting an ex-parte decree for divorce and decree is set aside later on. 4

अ. मोहन, एक हिन्दू पुरुष व मारिया, एक ईसाई महिला, जिन्होंने मात्र 6 माह पूर्व ही विवाह किया था, धारा- 13-बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पारस्परिक सहमति से तलाक हेतु याचिका दायर करते हैं। विधि के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निर्णीत करें। 4

ब. यदि कोई हिन्दू विवाह-विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त करने के उपरान्त दूसरा विवाह कर लेता है और बाद में ऐसी डिक्री अपास्त कर दी जाती है, तो दूसरे विवाह की वैधानिक प्रस्थिति पर चर्चा करें। 4

MIXED/मिश्रित

12. Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-

A. Discuss the doctrine of “Pith and substance” and the doctrine of “Colourable Legislation” as applicable to Indian Constitution. 6

अ. भारतीय संविधान पर प्रयोज्य “तत्त्व एवं सार का सिद्धान्त” तथा “आभासी विधायन का सिद्धान्त” की व्याख्या करें। 6

B. What is counter claim? What is the difference between counter claim and cross-objection? What are the restrictions to file counter claim? Whether a defendant can institute a counter claim against co-defendant? Whether a co-defendant can be permitted to cross-examine another co-defendant and his witnesses? If yes, then when? 6

ब. प्रतिदावा क्या है ? प्रतिदावा व प्रति-आपत्ति में क्या अन्तर है ? प्रतिदावा प्रस्तुत किए जाने पर क्या निर्बन्धन हैं ? क्या एक प्रतिवादी, सह-प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत कर सकता है ? क्या एक सह-प्रतिवादी को अन्य सह-प्रतिवादी व उसके साक्षियों के प्रतिपरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है ? यदि हाँ, तो कब ? 6

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2020

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 09
No. of Printed Pages : 09

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न-पत्र

**WRITING SKILL, COURT PRACTICE, TRANSLATION AND
CURRENT LEGAL KNOWLEDGE**

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the words limit of answers as specified in question paper and such violation may lead to minus marking.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ प्रश्न के उत्तर की शब्द-सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either or printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered. सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.1- Write an article in Hindi on the following legal topic :
निम्नलिखित विधिक विषय पर हिन्दी में लेख लिखिए :

-20

लिव-इन रिलेशनशिप एवं भारत में विधि की स्थिति

Q.2- Summarize the following legal passage into English (In 200 words)
निम्नलिखित विधिक गद्यांश का अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (200 शब्दों में):- 20

Seldom, our society realizes or cares to realize the trauma, agony and pain which the members of Transgender community undergo, nor appreciates the innate feelings of the members of the Transgender community, especially of those whose mind and body disown their biological sex. Our society often ridicules and abuses the Transgender community and in public places like railway stations, bus stands, schools, workplaces, malls, theatres, hospitals, they are sidelined and treated as untouchables, forgetting the fact that the moral failure lies in the society's unwillingness to contain or embrace different gender identities and expressions, a mindset which we have to change.

Gender identity is one of the most-fundamental aspects of life which refers to a person's intrinsic sense of being male, female or transgender or transsexual person. A person's sex is usually assigned at birth, but a relatively small group of persons may be born with bodies which incorporate both or certain aspects of both male and female physiology. At times, genital anatomy problems may arise in certain persons, their innate perception of themselves, is not in conformity with the sex assigned to them at birth and may include pre and post-operative transsexual persons and also persons who do not choose to undergo or do not have access to operation and also include persons who cannot undergo successful operation. Countries, all over the world, including India, are grappled with the question of attribution of gender to persons who believe that they belong to the opposite sex. Few persons undertake surgical and other procedures to alter their bodies and physical appearance to acquire gender characteristics of the sex which conform to their perception of gender, leading to legal and social complications since official record of their gender at birth is found to be at variance with the assumed gender identity. Gender identity refers to each person's deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body which may involve a freely chosen, modification of bodily appearance or functions by medical, surgical or other means and other expressions of gender,

including dress, speech and mannerisms. Gender identity, therefore, refers to an individual's self-identification as a man, woman, transgender or other identified category.

Sexual orientation refers to an individual's enduring physical, romantic and/or emotional attraction to another person. Sexual orientation includes transgender and gender-variant people with heavy sexual orientation and their sexual orientation may or may not change during or after gender transmission, which also includes homo-sexuals, bisexuals, heterosexuals, asexual etc. Gender identity and sexual orientation, as already indicated, are different concepts. Each person's self-defined sexual orientation and gender identity is integral to their personality and is one of the most basic aspects of self-determination, dignity and freedom and no one shall be forced to undergo medical procedures, including SRS, sterilization or hormonal therapy, as a requirement for legal recognition of their gender identity.

Multiple problems are faced by *Hijras*/TG, which necessitate a variety of solutions and actions. While some actions require immediate implementation such as introducing *Hijra*/TG-specific social welfare schemes, some actions need to be taken on a long-term basis changing the negative attitude of the general public and increasing accurate knowledge about *Hijra*/TG communities. The required changes need to be reflected in policies and laws; attitude of the government, general public and health care providers; and health care systems and practice.

Social exclusion and discrimination on the ground of gender stating that one does not conform to the binary gender (male/female) does prevail in India. Discussion on gender identity including self-identification of gender of male/female or as transgender mostly focuses on those persons who are assigned male sex at birth, whether one talks of *Hijra* transgender, woman or male or male to female transgender persons, while concern voiced by those who are identified as female to male trans-sexual persons often not properly addressed.

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES

Q.3- Briefly state the principles of law or guidelines laid down by the Supreme Court in following cases.

Each carrying 5 marks

निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

प्रत्येक के 5 अंक हैं

1.	Pradeep Ram vs. State of Jharkhand and another, (2019) 17 SCC 326
2.	Union of India vs. State of Maharashtra, 2019 SCC OnLine SC 1279
3.	Sushila Aggrawal vs. State of NCT of Delhi, (2020) 5 SCC 1
4.	Anokhilal vs. State of Madhya Pradesh, (2019) 20 SCC 196
5.	Arjun Panditrao Khotkar vs. Kailash Kushanrao Gorantyal, (2020) 7 SCC 1
6.	Rajnesh vs. Neha & Anr., (2021) 2 SCC 324

Q.4(a)- Translate the following 15 Sentences into English :-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :-

-15

- (1) मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट हुए मामले की प्राप्ति होने पर, मध्यस्थता केन्द्र का समन्वयक किसी ऐसे मध्यस्थ को मामला सौंप सकेगा, जो मध्यस्थता केन्द्र द्वारा संधारित मध्यस्थों के पैनल में से मामले की कार्यवाही करने में सर्वाधिक उपयुक्त हो।
- (2) जहां एक महिला जानते बूझते विवाहित पुरुष के साथ संबंध बनाकर दीर्घ अवधि से उसके साथ सहवासरत है, ऐसी स्थिति में पुरुष की वैवाहिक स्थिति के बारे में महिला को पूर्व ज्ञान होने के कारण विवाह की उपधारणा नष्ट हो जाती है।
- (3) लोक अभियोजक को धारा 37 (1)(बी)(i) के तहत प्रदत्त जमानत आवेदन का विरोध का अवसर देने के अलावा, धारा 37 (1)(बी)(ii) में निर्धारित दो शर्तों की भी संतुष्टि एवं सम्पुष्ट होना आवश्यक है जो संचयी हैं लेकिन वैकल्पिक नहीं।

- (4) नियम 43 के अधीन चल सम्पत्ति की, नियम 51 के अधीन पराक्रम्य लिखतों की एवं नियम 54 के अधीन अचल सम्पत्ति की हर कुर्की सिविल न्यायालय के अमीन या बेलिफ के माध्यम से की जावेगी, यदि विशेष कारण इसे आवश्यक न बना दें कि किसी अन्य अभिकरण को नियोजित किया जाना चाहिए, ऐसे मामलों में कुर्की के आदेश में स्वयं पीठासीन न्यायाधीश के हस्तलेख में उन कारणों का वर्णन किया जाएगा।
- (5) पुरोबन्ध वाद में जहां पश्चातवर्ती बन्धकदार या वे व्यक्ति जिन्हें किन्हीं ऐसे बन्धकदारों से हक व्युत्पन्न हुआ है या जो किन्हीं ऐसे बन्धकदारों के अधिकारों में प्रत्यासीन हैं, पक्षकारों के तौर पर संयोजित किये गये हैं वहां प्रारंभिक डिक्री वाद के पक्षकारों के अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंधित उस रीति से और उस प्रारूप में जो परिशिष्ट घ में यथास्थिति, प्रारूप संख्यांक 10 में उपवर्णित है, ऐसे फेरफारों सहित करेगी जो उस मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हों।
- (6) सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्षित किया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत केवल तब लागू हो सकता है यदि कर्मचारीगण एक समान परिस्थिति में है तथा दो समूहों के मध्य पूर्ण एवं बड़े पैमाने पर समानता है।
- (7) सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्षित किया कि एक वाद पत्र का संशोधन और एक लिखित कथन का संशोधन, समान सिद्धांत द्वारा आवश्यक रूप से शासित नहीं होता, न्यायालय को एक वाद पत्र की तुलना में एक लिखित कथन के संशोधन के प्रकरण में अधिक उदार होना चाहिए।
- (8) इस बात पर ध्यान दिया जावे कि विधानमण्डल ने संहिता की धारा 154 (1) में अपनी सामूहिक प्रज्ञान से अभिव्यक्त "सूचना" को संहिता की धारा 41 (1) (क) और (छ) उसी प्रकार विशेषित किए बिना सावधानीपूर्वक और सतर्कतापूर्वक प्रयुक्त किया जिसमें अभिव्यक्तियां "उचित परिवाद" और "विश्वसनीय सूचना" प्रयुक्त की गयी हैं।
- (9) बदमिजाजी, भाषा का असंयम, क्रोध का यदा-कदा हो जाने वाला स्फुटन, हो सकता है कूरता की कोटि में न आए, यद्यपि वह अवचार की कोटि में आ सकता है। यह निर्णय किसी एकाकी घटना से नहीं वरन् सभी सुसंगत परिस्थितियों को कुल मिलाकर ध्यान में रखकर किया जाता है।
- (10) पूर्वोक्त पैरा से स्पष्ट रूप से यही दर्शित होता है कि यदि विधान मण्डल का ये आशय स्पष्ट है कि पश्चातवर्ती अधिनियमिति अभिभावी होगी, तो उसका

निर्वचन उसी कथित आशय के अनुसार करना होगा।

- (11) उपसचिव का उक्त पद अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को समन्वित और प्रबंधित करने के लिए व्यय विभाग के अनुमोदन से सृजित किया गया था।
- (12) प्रथम सूचना रिपोर्ट या दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता का इस आधार पर अवलंबन कि अपराधी एवं पीड़ित के मध्य एक समझौते पर पहुंचा गया है वैसा नहीं होता जैसा अपराध के उपशमन के प्रयोजन के लिए अवलंबन होता है।
- (13) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् अपील अनुज्ञात की जाती है तथा आक्षेपित आदेश को अपास्त करते समय एकल न्यायाधीश के आदेश को प्रत्यावर्तित किया जाता है।
- (14) जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में, सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है, तो वह वारंट जारी करने या अन्य ऐसे कदम उठाकर, जो आवश्यक हों, उस आदेश को क्रियान्वित करायेगा।
- (15) यदि वह स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है, गर्भवती पायी जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन स्थगित किए जाने के लिए आदेश देगा और, यदि ठीक समझे तो, दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा।

Q.4(b)- Translate the following 15 Sentences into Hindi :-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

—15

- (1) Negative symptoms are associated with disruptions to normal emotions and behaviours. These symptoms are harder to recognize as part of the disorder and can be mistaken for depression or other conditions.
- (2) The scheme envisaged under section 163, in our opinion, leaves no manner of doubt that by reason thereof, the rights and obligations of the parties are to be determined finally. The amount of compensation payable under the aforementioned provisions is not to be altered or varied in any other proceedings.

It does not contain any provision providing for set-off against a higher compensation unlike Section 140.

- (3) There must be what is often called 'such a positive repugnancy between the two provisions of the old and the new statutes that they cannot be reconciled and made to stand together. In other words, they must be absolutely repugnant or irreconcilable. Otherwise, there can be no implied repeal for the intent of the Legislature to repeal the old enactment is utterly lacking."
- (4) When the court passes an interim order it should be careful to see that the statutory functionaries specially and specifically constituted for the purpose are not denuded of powers and authority to initially decide the matter and ensure that ultimate relief which may or may not be finally granted in the writ petition is not accorded to the writ petitioner even at the threshold by the interim protection granted.
- (5) Procedural law is not to be a tyrant, but a servant, not an obstruction but an aid to justice. Procedural prescriptions are the handmaid and not the mistress, a lubricant, not a resistant in the administration of justice.
- (6) Admittedly and undisputedly, defendants claim title based upon title of their grandfather, but also took the plea of ripening into their title by prescription, i.e. acquisition of title by adverse possession which is the inconsistent plea taken by defendants in their written statement.
- (7) The children are not mere chattels : nor are they mere playthings for their parents. Absolute right of parents over the destinies and the lives of their children has, in the modern changed social conditions, yielded to the considerations of their welfare as human beings so that they may grown up in normal balanced manner to be useful members of the society.
- (8) The process of construction combines both the literal and purposive approaches. However, necessity of interpretation arises only where the language of a statutory provision is ambiguous,

not clear or where two views are possible or where the provision gives a different meaning defeating the object of the statute.

- (9) Judicial review is not of the decision, but of the decision-making process. Unless that restriction on the power of the court is observed, the court will, in my view, under the guise of preventing the abuse of power, be itself guilty of usurping power.
- (10) The power to summon an accused is an extraordinary power conferred on court and should be used very sparingly and only if compelling reasons exist for taking cognizance against the other person against whom action has not been taken.
- (11) Restlessness among the students of colleges and universities culminating in indiscipline has stemmed from their deep-rooted feeling that their views and aspirations are ignored by their elders - politicians, and administrators, teachers and educationists.
- (12) The bringing of a claim or the raising of a defence in later proceedings may, without more, amounts to abuse of process of court, if the court is satisfied that the claim or defence should have been raised in the earlier proceedings if it was to be raised at all.
- (13) I would not accept that it is necessary, before abuse may be found, to identify any additional element such as a collateral attack on a previous decision or some dishonesty, but where those elements are present, the later proceedings will be much more obviously abusive.
- (14) In the instant case, the revisional Court by not accepting the police report has exceeded its jurisdiction and in fact entered into the shoes of police by directing registration of FIR, which is not permissible.
- (15) It can not, however, be disputed that while deciding the rate of land for determining the compensation, several factors such as potentiality of land, its location, surroundings, prices of land sold in near proximity of the acquired land and appreciation of value

of land at the rate of 15% for every subsequent year can be taken note of.

M.P.HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2020

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

Total No. of Questions : 12
कुल प्रश्नों की संख्या : 12

No. of Printed Pages : 07
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 07

Third Question Paper
तृतीय प्रश्न-पत्र
CRIMINAL LAWS & PROCEDURE
अपराध विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of any question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./
प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks/
अंक

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Discuss the difference between 'rape' and 'consensual sex' with reference to promise of marriage. Explain distinction between 'false promise of marriage' and 'mere breach of promise to marry'. | 8 |
| 1. | विवाह के वचन के संदर्भ में "बलात्संग" व "सहमतिजन्य संभोग" में अन्तर की चर्चा करें। "विवाह के मिथ्या वचन" व "विवाह के वचन का मात्र भंग" के बीच भेद की व्याख्या करें। | 8 |
| 2. | A) Merely because an accused is found guilty of an offence punishable under Section 498-A of the Code and the death has occurred within a period of seven years of marriage, accused can be automatically held guilty for offence punishable u/s 306 of the Code by employing the presumption under Section 113-A of the Act. Examine the correctness of the statement. | 4 |
| | B) Even without intention, a person may be guilty of murder. Elucidate. | 4 |
| 2. | अ) मात्र इस कारण कि एक अभियुक्त को संहिता की धारा 498ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया है और मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर कारित हुई है, अभियुक्त को धारा 113ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उपधारणा करते हुए संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। कथन की शुद्धता का परीक्षण करें। | 4 |
| | ब) आशय के अभाव में भी एक व्यक्ति हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। व्याख्या कीजिए। | 4 |
| 3. | A) If two persons commit the same act, can they be guilty of different offences in respect of the act? Discuss with relevant provisions of law and case laws. | 4 |
| | B) Non-applicability of Section 149 of IPC is no bar in convicting the accused persons with the aid of Section 34. Discuss. | 4 |
| 3. | अ) क्या दो व्यक्तियों द्वारा समान कृत्य किए जाने के बावजूद उन्हें उक्त | 4 |

कृत्य के संबन्ध में पृथक-2 अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों की सहायता से व्याख्या करें।

ब) संहिता की धारा 149 का लागू न होना धारा 34 की सहायता से अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने में कोई रोक नहीं लगाता है। व्याख्या करें।

4

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

4. A) Provision of Section 195 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is a safeguard against irresponsible and reckless prosecutions by private individuals in respect of offences which relate to the administration of justice and contempt of lawful authority. Discuss. 3
- B) When the bar contained in Section 195 of Cr.P.C. shall not be applicable ? Discuss with case laws and illustrations. 3
- C) Whether in a Sessions triable case, conviction and sentence can be passed on the same day ? Discuss with relevant provisions of law. 2
4. अ) धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान, ऐसे अपराधों जो कि न्याय प्रशासन एवं विधिपूर्ण प्राधिकारी की अवमानना से संबंधित है, के संबंध में निजी व्यक्तियों द्वारा पेश किये जाने वाले विद्वेषपूर्ण व गैर-जिम्मेदाराना अभियोजन के विरुद्ध एक संरक्षण है। व्याख्या करें। 3
- ब) धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता में बताए गए प्रतिबंध कब लागू नहीं होंगे? सुसंगत न्यायदृष्टांतों व उदाहरण सहित व्याख्या करें। 3
- स) क्या सत्र न्यायालय द्वारा विचारणयोग्य किसी प्रकरण में दोषसिद्धि एवं दण्डादेश उसी दिन पारित किया जा सकता है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों की सहायता से व्याख्या करें। 2
5. A) Whether appeal for enhancement of sentence by victim is maintainable? Discuss the victim's right to appeal in relation to offences that took place before 31st December, 2009. 4
- B) Whether complainant of a private complaint can file appeal as victim? Discuss with relevant provisions of laws and case laws. 4

5. अ) क्या पीड़ित व्यक्ति द्वारा दण्डादेश में वृद्धि करने हेतु पेश अपील पोषणीय है ? दि० 31 दिसम्बर 2009 के पूर्व किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित के अपील करने के अधिकार की व्याख्या करें। 4
- ब) क्या निजी परिवाद का परिवादी पीड़ित के रूप में अपील दायर कर सकता है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या करें। 4
6. A) Whether counsel engaged by victim/complainant can be permitted to cross-examine defence witness after cross-examination by public prosecutor? Discuss with relevant laws and case laws. 2
- B) Whether appellate Court may alter the charge? If yes, under what circumstances ? Discuss with relevant provisions of law and case laws. 6
6. अ) क्या पीड़ित/वास्तविक परिवादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को लोक अभियोजक के द्वारा बचाव साक्षी का प्रतिपरीक्षण कर लिए जाने के पश्चात् उसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या करें। 2
- ब) क्या अपीलीय न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या करें। 6

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

7. A) "Judge is not expected to be a mute spectator while the evidence is being recorded." Explain with relevant provisions and case laws. 4
- B) While recording the evidence of prosecutrix in a rape case, certain precautions need to be adopted. Explain. 4
7. अ) "साक्ष्य अभिलेखन के दौरान न्यायाधीश से मूकदर्शक बने रहने की अपेक्षा नहीं की जाती है।" सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ स्पष्ट करें। 4
- ब) "बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री की साक्ष्य अभिलेखन के दौरान कुछ निश्चित सावधानियाँ बरते जाने की आवश्यकता होती है।" व्याख्या करें। 4
8. A) Whether waiver of objection to mode of proof is permissible in criminal cases? Whether objection as to admissibility of electronic evidence for want of certificate u/s. 65B of Evidence Act, once waived at the time of recording of evidence can be raised during appeal? Discuss. 4

- B) When secondary evidence can be permitted by Court? Whether carbon copies can be taken into consideration as primary evidence ? What are the necessary requirements for admissibility of photocopy ?** 4
8. **अ) क्या आपराधिक मामलों में प्रमाण की रीति के त्यजन का अधिकार अनुज्ञेय है ? क्या धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र के अभाव में इलेक्ट्रनिक साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में साक्ष्य अभिलेखन के समय न उठाई गई आपत्ति को अपील के दौरान उठाया जा सकता है ? व्याख्या करें।** 4
- ब) कब न्यायालय द्वारा द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जा सकती है ? क्या कार्बन प्रतिलिपियों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्य किया जा सकता है ? साक्ष्य में फोटोकॉपी की ग्राह्यता के संबंध में अनिवार्य आवश्यकता क्या हैं ?** 4
9. **A) What is the difference between 'Dock Identification' and 'Test Identification Parade' ? Explain the evidentiary value of each of them?** 4
- B) An injured making dying declaration survives. Explain the evidentiary value of such statement ?** 2
- C) How evidence of a witness unable to communicate verbally, be recorded ? Answer citing relevant provision of law.** 2
9. **अ) 'न्यायालय के समक्ष पहचान' व 'पहचान परेड' में क्या अन्तर है ? इनमें से प्रत्येक का क्या साक्ष्यिक मूल्य है ? स्पष्ट करें।** 4
- ब) मृत्युकालीन कथन करने वाला आहत, जीवित रह जाता है। उसके ऐसे कथन का साक्ष्यिक मूल्य स्पष्ट करें।** 2
- स) ऐसे साक्षी की साक्ष्य, जो कि मौखिक रूप से संसूचित करने से असमर्थ है, कैसे लेखबद्ध की जावेगी ? सुसंगत विधिक प्रावधान लेख करते हुए उत्तर दें।** 2

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

(Section – 138 to 147)

10. **A) Whether the Court trying an offence under Section 138 may order the drawer of the cheque to pay interim compensation to the complainant? What are the powers of Appellate Court in this regard ? Discuss with relevant provisions of law.** 6

- B) Whether provisions of Section 143A are retrospective in operation? Explain with relevant case laws. 2
10. अ) क्या धारा 138 परकाम्य लिखित अधि० के अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, चैक के लेखीवाल को परिवादी को अंतरिम प्रतिकर अदा करने का आदेश दे सकता है? इस संबंध में अपीलीय न्यायालय की शक्तियां क्या हैं ? सुसंगत विधिक प्रावधानों के साथ व्याख्या करें। 6
- ब) क्या धारा 143क के प्रावधान प्रभाव में भूतलक्षी हैं ? सुसंगत न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या करें ? 2

SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
(Section – 2 to 8, 14 and 18)

11. A) An offence was committed and registered on 15.06.2021 in police station MIG of Indore involving offences under Indian Penal Code as well as under Act of 1989. What will be the effect if the investigation is conducted by officer below the rank of Dy. S.P. in such case? 2
- B) Ram, a male of general category, calls Devi Bai, a female member of ST community, "Adiwasin" at a place within public view. What offence is made out against Ram? Discuss with relevant provisions of law and case laws. 4
- C) In a case involving offences under SC/ST (POA) Act, 1989 and POCSO Act, 2012, which court is competent to try such case ? Discuss with relevant provisions of laws and case laws. 2
11. अ) दिनांक 15.06.2021 को थाना एमआईजी इन्दौर में भारतीय दण्ड संहिता के साथ-साथ, अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध, घटित व पंजीबद्ध हुआ। ऐसे मामले में यदि अनुसंधान उपपुलिस अधीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा दिया गया है तो उसका क्या प्रभाव होगा ? 2
- ब) सामान्य श्रेणी का पुरुष राम अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्या देवी बाई को जनता को दृष्टिगोचर स्थान पर "आदिवासिन" कहकर बुलाता है। राम के विरुद्ध कौन सा अपराध बनता है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या कीजिए। 4
- स) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत एक साथ पंजीबद्ध अपराध के विचारण हेतु कौन-सा न्यायालय सक्षम है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या कीजिए। 2

MIXED
मिश्रित

12. Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-

- (A) Whether right of accused to compound the offence under Section 147 of NIA is absolute ? Whether the stage of case makes any difference for accused in respect of compounding of offence ? Discuss with relevant provisions of laws and case laws. 6
- (अ) क्या परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध को शमन करने का अभियुक्त का अधिकार आत्यांतिक है ? क्या मामले का प्रक्रम अभियुक्त के ऐसे अपराध को शमन करने के संबंध में कोई अंतर उत्पन्न करता है? सुसंगत विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों के साथ व्याख्या कीजिए। 6
- (B) Whether property of a person accused under SC/ST (POA) Act, 1989 is liable to be attached and forfeited ? Discuss with relevant provisions of law. 6
- (ब) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अभियुक्त व्यक्ति की सम्पत्ति सम्पृहत एवं कुर्की किये जाने की दायित्वाधीन होती है ? सुसंगत विधिक प्रावधान के साथ व्याख्या कीजिए। 6

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2020

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या :24
No. of Printed Pages :24

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न-पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

SETTLEMENT OF ISSUES

**Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder
and in the light of relevant provisions of laws - 10 Marks**

Plaintiff's Pleadings :-

Plaintiff had purchased certain building material valued at Rs.2,00,000/- on credit from the defendant on 15.01.2015. Plaintiff required additional sum of Rs.3,00,000/- for the marriage of his daughter. Plaintiff offered to mortgage his three story house to defendant, which was accepted by defendant on the condition that he will execute the sale deed in favour of defendant and they will enter into an agreement separately regarding mortgage. Plaintiff having no other choice after receiving Rs. 4,00,000/- executed a sale deed of suit house in favour of defendant for security of loan amount, Rs. 6,00,000/- was mentioned as sale consideration in the sale deed and fact of delivery of possession to defendant was also mentioned. On that very date, defendant had executed an agreement in favour of plaintiff that if plaintiff will pay Rs. 6,00,000/- with 2% monthly interest within three years then defendant will re-convey the suit house to plaintiff by executing a sale deed in his favour. Plaintiff never intended to sale his property.

At the time of execution of this sale-deed, two tenants namely, Heeralal and Ramesh, were also residing in the suit house, who were paying monthly rent of Rs.6000 & 8000 respectively. The defendant was authorized to accept this rent in lieu of interest. Plaintiff continued his possession on suit property as owner. In March 2017 since Heeralal had handed over possession of that portion in favour of the plaintiff, whereas when the property was vacated by Ramesh in January 2018, the defendant rented it out to one Lokesh on rent @ Rs.10,000 per month. The defendant got his name entered in the Municipal records in illegal manner without any right over the suit property. The defendant is not entitled to recover interest @ more than 12%.

Further that in June 2019 plaintiff had requested the defendant to execute a reverse sale deed in his favour by settling accounts, but defendant declined. Plaintiff has been always ready and willing to perform his part under agreement dated 20.04.2015. Plaintiff has given a notice dated 15.07.2020 also, but the defendant did not follow the terms of the notice. Resultantly, plaintiff has filed this suit on 01.06.2021 against

defendant for redemption of mortgage, declaration of title and possession and in the alternative, specific performance of agreement of conditional sale and for restoration of possession in favour of the plaintiffs from Lokesh, who was inducted as a tenant by the defendant and till such vacation, claimed rent from Lokesh.

Defendant's Pleadings:-

All the averments made in plaint have been specifically denied being false. The plaintiff had willfully and with free consent, executed the sale-deed of suit house in favour of defendant after getting the due consideration and handed over the possession. Plaintiff is residing in the suit house gratuitously. Alleged agreement as averred by plaintiff is fake and forged, which is inadmissible in evidence due to its non registration, which can not be acted upon by the court for granting relief to plaintiff. The suit filed by plaintiff be dismissed with cost being time barred and non maintainable and plaintiff be directed to hand over the vacant possession of suit house to defendant.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों के प्रकाश में विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन—

दिनांक 15.01.2015 को वादी ने प्रतिवादी से कुछ भवन निर्माण का सामान कीमत लगभग 2,00,000/- रूपए उधार खरीदा था। वादी को अपनी पुत्री के विवाह के लिए भी 3,00,000/- रूपए की आवश्यकता थी। वादी ने अपना तीन मंजिला मकान प्रतिवादी के पास बंधक रखने का प्रस्ताव दिया, जिसे प्रतिवादी ने इस शर्त पर स्वीकारा कि वह प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करेगा, और वे बंधक के संबंध में अलग से अनुबंध कर लेंगे। वादी के पास अन्य कोई विकल्प न होने से उसने दिनांक 20.04.2015 को प्रतिवादी से 4,00,000/- रूपए लेकर वादग्रस्त मकान का विक्रय पत्र ऋण की सुरक्षार्थ प्रतिवादी के नाम निष्पादित किया, जिसमें विक्रय प्रतिफल 6,00,000/- रूपए लेख किया गया और प्रतिवादी को कब्जा सौंपे जाने की बात भी लेख कर दी गयी। उसी दिन प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में पृथक से एक अनुबंध इस आशय का निष्पादित किया कि वादी ऋण राशि 6,00,000/- अगले तीन साल में दो प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से अदा कर देगा तो प्रतिवादी वादग्रस्त मकान का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित कर मकान पुनः उसे हस्तांतरित कर देगा। वादी का आशय कभी भी वादग्रस्त मकान बेचने का नहीं था। उस समय वादग्रस्त मकान में हीरालाल व रमेश दो किरायेदार भी रहते थे, जिनका मासिक किराया क्रमशः 6000 व 8000 रूपए था। यह तय हुआ था कि प्रतिवादी ब्याज के बदले उनसे किराया लेता रहेगा। वादी पूर्व की भांति स्वामी की हैसियत से मकान में रहता रहा। हीरालाल ने मार्च 2017 में मकान खाली करके अपने भाग का कब्जा

वादी को सौंप दिया। रमेश ने जनवरी 2018 में मकान खाली किया, जिसे प्रतिवादी ने लोकेश नामक व्यक्ति को 10,000 रूपए मासिक किराये पर दे दिया। प्रतिवादी ने अवैध रूप से बिना किसी अधिकार के नगर निगम के रिकार्ड में भी अपना नामांतरण करा लिया। प्रतिवादी 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिक दर से वादी से ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है।

जून 2019 में वादी ने प्रतिवादी से हिसाब कर उसके पक्ष में वापस विक्रय पत्र निष्पादित करने का कहा तो वह मुकर गया। वादी अनुबंध दिनांक 20.04.2015 के तहत अपने भाग का पालन करने के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहा है। वादी ने दिनांक 15.07.2020 को प्रतिवादी को सूचना पत्र प्रेषित किया, जिसका अनुपालन भी उसने नहीं किया, तब वादी ने दिनांक 01.06.2021 को प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसमें बंधकमोचन, स्वत्व व आधिपत्य की घोषणा तथा विकल्प में सर्शत विक्रय द्वारा बंधक के अनुबंध पत्र के विनिर्दिष्ट अनुपालन व किरायेदार लोकेश से वादग्रस्त मकान के भाग का रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने की सहायता चाही गयी है। इसके अलावा किराएदार लोकेश से कब्जा सौंपे जाने के दिनांक तक किराए की राशि भी उसे दिलाए जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी के अभिवचन –

वादपत्र के सभी अभिवचन असत्य होने से अस्वीकार हैं। वादी ने स्वतंत्र सहमति से प्रतिवादी के पक्ष में पूर्ण प्रतिफल लेकर वादग्रस्त मकान का विक्रय पत्र निष्पादित कर कब्जा प्रदान किया था। वादी अनुग्राहिक रूप से वादपत्र मकान में रहता चला आ रहा है। वादी द्वारा अभिकथित तथाकथित अनुबंध पत्र फर्जी व कूटरचित है। उक्त अनुबंध पत्र पंजीकृत न होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इसके आधार पर वादी को कोई सहायता नहीं दी जा सकती। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद समयावधि बाह्य है व अप्रचलनशील होने से निरस्त किए जाने योग्य है, अतः सव्यय निरस्त किया जाए और वादी को आदेशित किया जाए कि वह प्रतिवादी को वादग्रस्त मकान का रिक्त आधिपत्य प्रदान करे।

FRAMING OF CHARGES

**Q.2 Frame a charge/charges on the basis of facts given here under -
- 10 Marks**

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS -

Naveen Mishra is working as Branch Manager of Madhupur Branch of Bank of Baroda from 01.01.2018. Sudhir is a cashier, Abhishek is Data Entry Operator and Manoj is working as Sweeper in the same Bank. On 12.05.2018, the bank was closed at 02:30 PM being half day holiday on

Saturday. Keys of bank were kept by Manoj. With the help of Manoj, Abhishek got the bank opened on 12.05.2018 at 7 PM and disconnected the CCTV camera installed in the bank. Thereafter Abhishek opened 12 fake KCC loan accounts by using the password of Branch Manager Naveen Mishra and cashier Sudhir and transferred Rs.1 lac in each account. The fact of fake KCC accounts was disclosed in the audit of bank conducted in the end of the month and it came to the notice that amount of only Rs.5 lacs is available in those fake accounts. Naveen Mishra lodged FIR and after registration of Crime No.92/2018, police started investigation. Statements of witnesses under Section 161 of Cr.P.C. were recorded. Accused Abhishek was taken into custody and interrogated. He revealed that few days prior to the incident, he secretly watched the password of Naveen and Sudhir during meetings with them and noted the password, which was used by him for opening fake KCC loan accounts and for transfer of money in those accounts. After few days, he withdrew Rs.7 lacs from those accounts out of which, Rs.2 lacs were paid by him to Manoj and he used the rest of amount. CCTV footage of camera installed at showroom just opposite to the bank was seized in which both accused are visible. It was found that they entered the showroom by opening the locks on 12.05.2018 at 7 PM and came out at 7:52 PM. Rs.30,000/- were recovered and seized from accused Manoj on the basis of information given by him in his memorandum under Section 27 of Indian Evidence Act and seizure memo was prepared. Charge-sheet has been filed after completion of investigation.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आरोप/ आरोपों की विरचना कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन –

नवीन मिश्रा दिनांक 01.01.18 से बैंक आफ बडौदा शाखा मधुपुर में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसी बैंक में सुधीर कैशियर के पद पर, अभिषेक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व मनोज स्वीपर के पद पर काम करते हैं। दिनांक 12.05.2018 शनिवार को अर्द्धदिवस का अवकाश होने से बैंक दोपहर 2.30 बजे ही बंद कर दिया गया था, जिसकी चाबी मनोज के पास रहती थी। अभिषेक ने मनोज की मदद से दिनांक 12.05.2018 को शाम 7 बजे बैंक खुलवाया, बैंक में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे को बंद कर दिया। इसके बाद अभिषेक ने ब्रांच मैनेजर नवीन मिश्रा व कैशियर सुधीर के पासवर्ड का इस्तेमाल करके 12 फर्जी के.सी.सी. लोन अकाउन्ट खोले और प्रत्येक में एक लाख रूपए ट्रांसफर कर दिया। माह के अंत में हुए ऑडिट में फर्जी खातों की जानकारी हुई और ज्ञात हुआ कि उक्त फर्जी खातों में अब मात्र पांच लाख की राशि ही शेष है। नवीन मिश्रा ने घटना की रिपोर्ट की जिसपर से अपराध क्रमांक 92/2018 दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। साक्षीगण के

कथन धारा 161 द्रप्रसं० के तहत लेखबद्ध किये गये। आरोपी अभिषेक को अभिरक्षा में लेकर उसका मेमोरेण्डम अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेख किया गया, जिसमें उसने बताया कि उसने घटना के कुछ दिन पूर्व नवीन व सुधीर के साथ बैठकों के दौरान उनके पासवर्ड चुपके से देखकर नोट कर लिये थे, जिनका उपयोग करके उसने फर्जी के.सी.सी. लोन अकाउन्ट बनाए जिनमें पैसे ट्रांसफर किए। कुछ दिन बाद उसने उक्त खातों से सात लाख रूपए निकाले, जिनमें से दो लाख रूपए मनोज को दिए और बाकि खर्च कर दिये। बैंक के सामने स्थित शोरूम के सी.सी.टी.वी. कैमरा की फुटेज जप्त की गयी जिसमें घटना दिनांक 12.05.2018 को शाम 7 बजे दोनों आरोपीगण बैंक का ताला खोलकर उसमें जाते व लगभग 7.52 बजे बाहर आते दिखे। आरोपी मनोज का भी मेमोरेण्डम अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेख किया गया जिसके आधार पर उससे बैंक की चाबी व 30,000/- रूपए जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiff's Pleadings :-

The brief case of the plaintiff is as follows :

The suit property belongs to the first defendant by virtue of a registered sale deed dated 18-03-1980. The second defendant is the son of the first defendant. The plaintiff entered into a sale agreement dated 05-07-1995 with the defendants for the purchase of the suit property against a total sale consideration of Rs. 10,000/- and on the date of sale agreement itself, the entire sale consideration was paid to the defendants. The defendants handed over possession of suit property to the plaintiff on the date of sale agreement and since then, the plaintiff is in possession and enjoying suit property. The defendants also handed over original sale deed dated 18-03-1980 executed in favour of the first defendant to the plaintiff. In the sale agreement, the defendants agreed to execute sale deed in favour of the plaintiff or in favour of his nominee. On 05-06-2007, the plaintiff orally requested the defendants to execute the sale deed in his favour. However, the defendants promised to execute the sale deed in six month's

time, since they were employed in Tirpur. Subsequently also, the defendants avoided execution of the sale deed in favour of the plaintiff.

On 04-01-2009, the plaintiff came to know that the defendants were trying to alienate the suit property to a third party, since the market value of the property had been increased. The plaintiff was always ready and willing to perform his part of the contract. On 05-01-2009, the plaintiff sent a notice to the defendants for executing the sale deed. On 06-01-2009, the defendants tried to interfere with the plaintiff's possession. In these circumstances, the plaintiff filed the suit for specific performance of contract and permanent injunction.

Defendant's Pleadings :-

The defendants while denying the averments stated in the plaint, specifically stated that the second defendant borrowed a sum of Rs. 10,000/- in the year 1991 from the plaintiff and as a security for the said loan, the defendants executed a promissory note in favour of the plaintiff. The defendants also paid interest at the rate of Rs. 3/- per Rs. 100/- per month. Since the defendants incurred loss in their business, they could not pay the interest to the plaintiff; they handed over the original documents pertaining to suit property to the plaintiff as security. The defendants had also given the signed blank stamp papers to the plaintiff. The plaintiff informed the defendants that he is obtaining the blank stamp papers only as a security for due payment of the monthly interest. The plaintiff also informed the defendants that in respect of paying the interest, he will have the possession of the suit property and to that effect, he would write a document in the blank stamp paper obtained from the defendants.

In July 1995, the defendants tried to dispose of the property for discharging the loan availed from the plaintiff. Immediately, the plaintiff prevented the defendants from disposing of the property by using the blank stamp papers and getting the document written on it as though, the defendants agreed to sell the property to him. The defendants are willing to repay the loan amount together with interest from the date of signing the blank stamp papers. The defendants did not receive the notice dated 05-01-2009 alleged to have been sent by the plaintiff. The alleged sale agreement dated 05-07-1995 is not true and genuine and the same is not meant for selling the property to the plaintiff. The transaction between the defendants and the plaintiff is only a loan transaction. In these circumstances, the defendants prayed for dismissal of the suit.

Plaintiff's Evidence :-

The plaintiff examined himself and three other witnesses. He deposed and reiterated the contents of plaint and relied upon the documents which were marked as Ex.A1 to A8.

P.W.2 and P.W.3 are the attestors of Ex.A1 agreement. P.W.4 is the scribe of Ex.A1. Except the attestors and the scribe, the plaintiff has not examined any other independent witness to prove the averments stated in the plaint. The only correspondence between the plaintiff and the defendants is Ex.A3 notice dated 05-01-2009 sent by the plaintiff to the defendants which was also returned unserved.

The office copy of the pre-suit notice has been marked as Ex.A6. It was received by the first defendant and the postal acknowledgment card has been marked as Ex.A8. The first defendant gave reply of notice and the same has been marked as Ex.A7. Office copy of the same has been marked as Ex.B1. The reply notice is dated 20-01-2005 and Ex.B2-acknowledgment card shows that it was received by the counsel for the plaintiffs on 24-01-2005. The suit came to be filed on 24-01-2005 itself. However, in the cause of action column nothing has been mentioned regarding the reply notice containing refusal to perform. Of course, it is obvious that after sending the notice calling upon first defendant to execute the sale deed in accordance with the sale agreement for sale, the suit came to be filed within 12 days and it so happened that the reply of notice sent by the first defendant was also received by the counsel for the plaintiff's on the date of filing of the suit.

Plaintiff has deposed that Ex.A1 sale agreement dated 05-07-1995 was meant for selling the property to him and it was not given as a security for the loan availed by the defendants from him. The plaintiff further deposed that the defendants executed Ex.A1-sale agreement in his favour for selling the suit property for a total sale consideration of Rs. 10,000/-. According to the plaintiff, he paid the entire sale consideration on the date of execution of the sale agreement itself.

He further deposed that in the sale agreement, it has been recited that the defendants will execute the sale deed, as and when the plaintiff wishes either in his name or in the name of his nominee. He further deposed that since the defendants were employed in Tirpur, they requested time for executing the sale deed in favour of him due to which he avoided to file the suit. He further deposed that first defendant alone is the absolute owner

of the suit property. He has also deposed that on the date of sale agreement, the defendants had handed over the original sale deed marked as Ex.A2 dated 18-03-1980 to him.

Defendant's Evidence :-

The first defendant has deposed that the second defendant borrowed a sum of Rs. 10,000/- from the plaintiff on a monthly interest of Rs. 3 per Rs. 100 per month i.e. 36% per annum. Plaintiff had obtained their signature on blank stamp papers as security for due repayment of the loan amount, which he had utilized for filing the present suit for specific performance of contract.

He further deposed that when second defendant has no title or right over the suit property, the reason for including him in the sale agreement makes it clear that sale agreement was nothing but a security transaction. He further deposed that plaintiff has not produced a single paper to prove that he took any step between 1995 to 2009 to get the sale deed executed from him.

Arguments of Plaintiff :-

Learned counsel for plaintiff submitted that the suit agreement executed by the defendants was meant for selling the suit property to the plaintiff and the recitals found in the said agreement itself would establish that it is meant for selling the property to the plaintiff. The learned counsel further submitted that the plaintiff has been contacting and requesting the defendants to execute the sale deed, since the date of execution of the sale agreement and since they took steps to sell the property to some third parties, he issued a notice dated 05-01-2009 and filed the suit on 07-01-2009. The learned counsel also submitted that in view of the close relationship between the parties, the plaintiff did not file the suit immediately. The plaintiff has come out with a genuine case and therefore, it cannot be alleged that he has not approached the Court with clean hands.

The learned counsel for plaintiff further argued that S. 92 of the Evidence Act bars the defendants from contending that there was no sale and, it is submitted that defendants should not have been permitted to lead oral evidence in support of the contention in the light of Section 91 of the Evidence Act.

Learned counsel further argued that suit insofar as it relates to the prayer for a perpetual injunction restraining the defendants from

interfering with the possession of the plaintiff's cannot be held to be barred by limitation. He further submitted a vendor who had received the entire sale consideration is obliged to handover possession of the property to the purchaser and give warranty for occupation free of disturbances. It is not possible to attribute any grave misconduct on the part of the plaintiff, especially in a case where the entire sale consideration has been paid, to deny to him the relief of specific performance. On the other hand, it would be inequitable to deny such a relief in view of Section 10 of Specific Relief Act.

He further contended that the plaintiff, after he paid the full amount to defendants and obtained from him the receipt of the last payment, completes his part of the contract has to be adjudged in the broad perspective. The Court in suitable cases should look into the totality of the circumstances and the allegations made in the plaint and from them come to the conclusion whether necessary allegations have been made by the plaintiff in that regard or not.

Arguments of Defendant :-

Learned counsel appearing for the defendants submitted that the alleged suit agreement was not meant for selling the property to the plaintiff and it can be construed only as a security document for due discharge of the loan amount. The learned counsel further submitted that the alleged suit agreement is dated 05-07-1995, whereas the suit was filed only on 07-01-2009 i.e., nearly after 14 years from the date of alleged execution of Ex.A1 sale agreement. Plaintiff has assigned no reason for the delay of almost 14 years in filing the suit. Even if time is not the essence of contract it has to be performed in reasonable time. Hence, suit is clearly time barred and limitation can not be fixed from the date of issuance of legal notice dated 05-01-2009 as same is against Article 54 of the Limitation Act.

The learned counsel also submitted that in the absence of any evidence led in by the plaintiff to establish that there is no laches in filing the suit, suit can not be decreed. The learned counsel also submitted that the plaint filed by the plaintiff for specific performance of the agreement is not in conformity with Order 6 Rule 3 CPC, and Clause 3 Appendix. It is also the contention of the learned counsel that even though sale consideration is paid in full at the time of execution of agreement for sale, even than plaintiff should have to prove that he had been ready and willing to perform the contract from the date of agreement till the date of filing of

the suit. The learned counsel further submitted that the plaintiff has not come to the Court with clean hands and therefore, no decree for specific performance can be granted in his favour.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये -

वादी के अभिवचन :-

वादी का दावा संक्षेप में इस प्रकार है -

प्रथम प्रतिवादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 18.03.80 के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी है। द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी का पुत्र है। वादी ने वादग्रस्त सम्पत्ति को रूपए 10,000 में क्रय करने के लिए विक्रय अनुबंध दिनांक 05.07.1995 को प्रतिवादीगण से किया। विक्रय अनुबंध दिनांक को ही प्रतिवादीगण को वादी द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि अदा की गयी। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति का आधिपत्य उसी दिन वादी को सौंप दिया और तब से वादी वादग्रस्त सम्पत्ति पर आधिपत्यधारी होकर उसका उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी क.1 के पक्ष में निष्पादित मूल विक्रय पत्र दिनांकित 18.03.1980 भी वादी को उसी दिन अर्थात् विक्रय अनुबंध दिनांक को दे दिया। विक्रय अनुबंध के अनुसार प्रतिवादीगण वादी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु सहमत हुए थे। 05.06.2007 को वादी ने प्रतिवादीगण से मौखिक तौर पर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा, जिसपर प्रतिवादीगण ने 6 माह के भीतर विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा क्योंकि वह लोग तिरपुर में नौकरी कर रहे थे। उसके पश्चात् भी प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया।

दिनांक 04.01.2009 को वादी को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य बढ़ जाने के कारण उसे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए सदैव तत्पर एवं इच्छुक रहा। 05.01.2009 को वादी ने प्रतिवादीगण को अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने का नोटिस भेजा। 06.01.2009 को प्रतिवादीगण ने वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के द्वारा संविदा के विशिष्ट अनुपालन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

प्रतिवादीगण ने वादी के द्वारा वादपत्र में किये गये अभिवचनों से इंकार करते हुए यह विशिष्ट रूप में अभिवचनित किया कि द्वितीय प्रतिवादी ने वर्ष 1991 में वादी से रूपए 10,000 उधार लिए थे और उक्त ऋण की सुरक्षा के संबंध में प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में एक प्रोमेसरी नोट लिखा था। उन्होंने तीन रूपए प्रति सैकडा की दर से

ब्याज भी अदा किया है। चूंकि प्रतिवादीगण को अपने व्यापार में घाटा हुआ, जिस कारण वे वादीगण को ब्याज अदा नहीं कर सके तथा उन्होंने वादग्रस्त सम्पत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज वादी को प्रतिभूति बतौर सौंप दिये थे। उन्होंने वादी को अपने दस्तखत किए हुए कोरे स्टाम्प पेपर भी दिये थे। वादी ने उनसे कहा था कि वह कोरे स्टाम्प पेपर मासिक ब्याज की समुचित अदायगी के लिये प्रतिभूति बतौर ले रहा है। वादी ने यह भी कहा था कि वह ब्याज अदायगी के संबंध में वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा भी लेगा और प्रतिवादीगण से प्राप्त कोरे स्टाम्प पेपर पर एक दस्तावेज लिखेगा।

जुलाई 1995 में प्रतिवादीगण ने वादीगण से प्राप्त लोन को पटाने के लिए उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का प्रयास किया, किंतु वादी ने तत्काल कोरे स्टाम्प पेपर्स का उपयोग करते हुए और उक्त पर यह लिखकर कि प्रतिवादीगण ने उससे उक्त सम्पत्ति को बेचने का अनुबंध किया है, उन्हें वादग्रस्त सम्पत्ति बेचने से रोक दिया। प्रतिवादीगण खाली स्टाम्प पेपर हस्ताक्षरित करने की दिनांक से वादी को सम्पूर्ण ऋण राशि मय ब्याज अदा करने के इच्छुक हैं। प्रतिवादीगण को वादी द्वारा भेजा गया नोटिस दिनांकित 05.01.2009 कभी प्राप्त नहीं हुआ। विक्रय अनुबंध दिनांकित 05.07.1995 सत्य एवं वास्तविक नहीं है तथा उसका तात्पर्य कभी भी वादी को सम्पत्ति बेचना नहीं रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुआ संव्यवहार मात्र एक ऋण संव्यवहार है। उक्त परिस्थितियों में प्रतिवादी ने वादी का दावा निरस्त करने की प्रार्थना की है।

वादी की साक्ष्य :-

वादी ने स्वयं को एवं तीन अन्य साक्षियों को वादी साक्षीगण के रूप में परीक्षित किया है। अपनी साक्ष्य में उसने वादपत्र में किये गये अभिवचनों को दोहराया है व उसने प्रदर्श ए1 लगायत ए8 तक के दस्तावेजों पर विश्वास किया है।

वादी साक्षी क.2 एवं 3 प्रदर्श ए1 के अनुबंध पत्र के प्रमाणक साक्षी हैं, जबकि वादी साक्षी क.4 प्रदर्श ए1 के अनुबंध पत्र का लेखक है। दस्तावेज के प्रमाणक साक्षियों एवं लेखक के अतिरिक्त वादी ने वादपत्र के अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य एकमात्र पत्राचार 05.01.2009 को वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को भेजा गया प्रदर्श ए3 का नोटिस मात्र है, जो बिना तामील हुए वापस आया है।

वाद पेश करने के पूर्व भेजे गये नोटिस को प्रदर्श ए6 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसे प्रथम प्रतिवादी के द्वारा प्राप्त किया गया था इसकी डाक अभिस्वीकृति को प्रदर्श ए8 के रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रथम प्रतिवादी ने प्रदर्श ए6 के नोटिस का जो जवाब भेजा था, उसे प्रदर्श ए7 के रूप में प्रदर्शित किया गया। उसकी कॉपी को प्रदर्श बी1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श ए6 के नोटिस का जवाब दिनांकित 20.01.2005 है तथा प्रदर्श बी2 का अभिस्वीकृत कार्ड यह दर्शित करता है कि इसे वादी के अधिवक्ता के द्वारा 24.01.2005 को प्राप्त किया गया था। दावा 24.01.2005 को पेश किया गया।

दावे में वाद कारण के पैरा में, नोटिस का जवाब जिसके द्वारा प्रतिवादी ने अपने भाग का पालन करने से इंकार कर दिया था का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निःसंदेह यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रतिवादी को विक्रय अनुबंध के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादित करने का नोटिस दिये जाने के 12 दिन के भीतर दावा पेश कर दिया गया, नोटिस का जो जवाब प्रथम प्रतिवादी के द्वारा दिया गया था वह वादी के अभिभाषक को दावा प्रस्तुत करने की दिनांक को ही प्राप्त हुआ था।

वादी की यह साक्ष्य है कि प्रदर्श ए1 का विक्रय अनुबंध दिनांकित 05.07.1995 सम्पत्ति के विक्रय के लिये था, यह प्रतिवादी द्वारा उससे प्राप्त किये गये ऋण की प्रतिभूति बतौर नहीं लिया गया था। वादी की यह भी साक्ष्य है कि प्रतिवादीगण ने उससे 10,000 रूपए की पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर उसके पक्ष में प्रदर्श ए1 का विक्रय अनुबंध पत्र लिखा था और वह उसके द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि विक्रय अनुबंध की दिनांक को ही अदा की जा चुकी है। उसकी यह भी साक्ष्य है कि विक्रय अनुबंध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिवादीगण वादी की इच्छा के अनुसार उसके पक्ष में अथवा उसके बताये हुए व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करेगा। उसकी यह भी साक्ष्य है कि चूंकि प्रतिवादीगण तिरपुर में नौकरी करते थे और उन्होंने उससे विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए समय मांगा था इसलिए उसने दावा पेश नहीं किया। उसकी यह भी साक्ष्य है कि वादग्रस्त सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी प्रथम प्रतिवादी है और उनके द्वारा विक्रय अनुबंध की दिनांक को ही उसे प्रदर्श ए2 के विक्रय पत्र दिनांकित 18.03.1980 का मूल दस्तावेज सौंप दिया गया था।

प्रतिवादी की साक्ष्य :-

प्रथम प्रतिवादी प्रतिवादी क.2 का पिता है। उसकी साक्ष्य है कि द्वितीय प्रतिवादी ने वादी से रूपए 10,000 की राशि ऋण के रूप में 3 रूपए प्रति सैकडा प्रति माह अर्थात् 36 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उधार ली थी। वादी ने उनसे कोरे स्टाम्प पेपर्स पर ऋण राशि की अदायगी के लिए प्रतिभूति बतौर हस्ताक्षर करवा लिये थे, जिसे बाद में उसने संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया है।

उसकी यह भी साक्ष्य है कि जब द्वितीय प्रतिवादी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है, उसे विक्रय अनुबंध में शामिल किया जाना यह स्पष्ट करता है कि विक्रय अनुबंध मात्र ऋण की सुरक्षा के लिए किया गया संब्यवहार था। उसकी यह भी साक्ष्य है कि वादी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज यह सिद्ध करने के लिए पेश नहीं किया है कि उसने 1995 से 2009 के बीच अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कराने के लिए कोई कार्यवाही की।

तर्क वादी :-

वादी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय अनुबंध केवल और केवल वादी के पक्ष में वादग्रस्त सम्पत्ति विक्रय करने

के लिये था और यह वाद विक्रय अनुबंध के लेख से भी प्रमाणित है कि यह सम्पत्ति को विक्रय करने के लिए था। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए विक्रय अनुबंध दिनांक से ही अनुरोध करता रहा। जब प्रतिवादीगण ने तृतीय पक्ष को वादग्रस्त सम्पत्ति विक्रय करने का प्रयास किया तो वादी ने 05.01.2009 को उसे नोटिस भेजा और 07.01.2009 को दावा पेश किया। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य नजदीकी रिश्ता होने के कारण वादीगण ने तत्काल दावा पेश नहीं किया। वादी एक वास्तविक दावा लेकर आया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि वह न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है।

वादी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 प्रतिवादीगण को यह कहने से वर्जित करती है कि कोई विक्रय करार नहीं किया गया था। उनका यह भी अनुरोध है कि धारा 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आलोक में प्रतिवादीगण को अपने विरोध के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि जहां तक दावे में स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही जाकर प्रतिवादी को वादग्रस्त सम्पत्ति में वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित करने का प्रश्न है उसे अवधि बाह्य नहीं कहा जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि एक विक्रेता जिसने सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर ली है, का यह दायित्व है कि वह सम्पत्ति का आधिपत्य क्रेता को सौंप दे और उसे बिना किसी हस्तक्षेप के आधिपत्य की वारंटी दे। जहां पर प्रतिवादी के द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर आधिपत्य वादी को सौंप दिया गया वहां पर वादी को संविदा के विशिष्ट अनुपालन की डिक्री से इंकार नहीं किया जा सकता है, उसे संविदा की विशिष्ट अनुपालन की सहायता देने से इंकार किया जाना धारा 10 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत असाध्यिक होगा।

उनका यह भी तर्क है कि वादी ने प्रतिवादीगण को पूर्ण राशि अदा करने के उपरांत उससे अंतिम धन अदायगी की रसीद प्राप्त की है, जो कि उसके द्वारा किये गये संविदा के अपने भाग को पूर्ण करता है, इसलिए उसे वृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। न्यायालय को उचित प्रकरणों में संपूर्ण परिस्थितियों एवं दावे में किये गये अभिवचनों पर विचार कर यह निष्कर्ष देना चाहिए कि उक्त संबंध में वादी ने आवश्यक अभिवचन किए हैं अथवा नहीं।

तर्क प्रतिवादी :-

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि उक्त विक्रय अनुबंध सम्पत्ति के विक्रय के लिए नहीं था और इसे मात्र ऋण की सुरक्षा के लिए निष्पादित किया गया प्रतिभूति दस्तावेज माना जा सकता है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तथाकथित विक्रय अनुबंध 05.07.1995 को हुआ है जबकि दावा 07.01.2009 को अर्थात्

प्रदर्श ए1 के अनुबंध के निष्पादन के लगभग 14 वर्ष उपरांत पेश किया गया है। वादी ने 14 वर्ष के विलंब से वाद पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। यदि यह मान भी लिया जावे कि समय संविदा का मर्म नहीं था तो भी इसे एक युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए था। अतः दावा पूर्णतः अवधि बाह्य है। उनका यह भी तर्क है कि ऐसे प्रकरणों में अवधि लीगल नोटिस दिनांकित 05.01.2009 को जारी किये जाने की दिनांक से प्रारंभ होना नहीं मानी जा सकती है क्योंकि ऐसा किया जाना मर्यादा अधिनियम के अनुच्छेद 54 के विपरीत होगा।

विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश किये जाने के अभाव में कि उसके द्वारा दावा पेश किये जाने में कोई त्रुटि या उपेक्षा नहीं की गयी है दावे को डिक्री नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी के द्वारा संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए प्रस्तुत किया गया वाद आदेश 6 नियम 3 सीपीसी0 एवं एपेंडिक्स-ए के फार्म 47 के क्लॉज 3 के अनुरूप नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि अनुबंध के निष्पादन के समय सम्पूर्ण विक्रय धनराशि अदा कर दी गयी है तो भी वादी को यह प्रमाणित करना चाहिए था कि वह अनुबंध दिनांक से वाद प्रस्तुति दिनांक तक संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए इच्छुक एवं तैयार रहा है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, इस कारण भी उसके पक्ष में संविदा के विशिष्ट अनुपालन की कोई डिक्री नहीं दी जा सकती।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions of the relevant laws.

- 40 Marks

Prosecution Case :-

Grandmother of deceased Gaurav, Shanti Bai lodged a missing report with police station Kotwali on 24.11.2005 that his grandson Gaurav, who is a student of class 9th has not returned to home since 12 p.m. of 22.11.2005 after the school was over and they have inquired at nearby places, but got no clue. The missing report no. 100/05 was registered by Sub-inspector Umashankar. In statement during inquiry Shanti Bai informed that a ransom call from unknown person has been received on 27.11.2005 at 4.32 p.m. on their landline no. 3528250, demanding Rs. 5,00,000/-, otherwise Gaurav will be killed. Police installed caller I.D. and other instruments at the residence of Shanti Bai. Again a call on landline

number was received on 29.11.2005 at 9.12 p.m. which was made using sim no. 9826055222. The same unknown person has threatened them saying that even after the lapse of two days, the money has not been paid. If money is not paid within 24 hours, then he will kill Gaurav.

Sub-inspector Umashankar registered FIR bearing crime no. 912/2005 on 01.12.2005 and started the investigation. Statements of Shanti Bai, grandmother of deceased, mother of deceased Devi Bai and elder cousin brother of deceased Pankaj were recorded in which they have repeated the fact regarding missing of Gaurav since noon of 22.12.2005 and receiving calls from unknown persons on their landline. It was revealed during investigation that sim no. 9826055222 was issued by Airtel company in the name of one Sangram Singh, the documents of Sangram Singh were fake and no person of such name could ever be found. Thereafter during examination of I.M.E.I. No. 123456789 of that mobile, it was found that sim no. 7712322431 was being used in the same mobile prior to the incident till 21.11.2005. That sim was issued by Airtel company in the name of some Saleem. Saleem was taken into custody on 01.12.2005 at about 7 p.m. and interrogated, he revealed that he along with co-accused Muvin and Firoj has planned to kidnap Gaurav. On 22.11.2005 at 11.30 p.m. Muvin and Firoj picked the Gaurav from the school and took him to a factory which was closed for long time. When their demand for ransom was not fulfilled then they killed Gaurav in the night of 31.11.2005 by strangulation. Co-accused Muvin and Firoj cut the dead body from neck in two parts and threw both parts in jungle separately. He has kept the mobile used in crime in a box at his residence. After recording a memorandum u/s. 27 of Indian Evidence Act, a mobile which was used in committing crime was recovered from the house of Saleem, which was seized before witness Ram and Mohan, seizure memo was also prepared. During search in jungle both parts of dead body were found which were sent to District Hospital for examination. A detailed memorandum was prepared in this regard. Dead body was identified by the mother of deceased Devi Bai, identification memo was prepared.

Thereafter accused Muvin and Firoj were taken into custody and their memorandums u/s. 27 of Indian Evidence Act were also recorded, in which they admitted that they have committed the offence with Saleem. A motorcycle was seized from Muvin, seizure memo was prepared. On the information of accused Firoj, a sharp edged sword was seized from his house, seizure memo was prepared. The said sword was sent to FSL for examination.

Call details and documents of both sim alongwith certificate u/s. 65B of Indian Evidence Act were obtained from Kapil, Nodal Officer of Airtel company. Similarly, call detail and relevant information of landline no. 3528250 were obtained from Sunil, the Nodal Officer of BSNL company.

Investigation Officer Umashankar came to know that a CCTV camera is installed at Showroom situated just opposite to the school. On going through the footage of relevant date and time, two boys having physical appearance similar to accused Muvin and Firoj were seen going on motorcycle with a boy which was resembling with deceased Gaurav, though the footage was not clearly visible. C.D. of relevant part of the CCTV footage got prepared and produced as electronic evidence. After the completion of investigation, accused persons were prosecuted.

Defence Plea:

Accused persons pleaded not guilty and requested for trial.

Evidence of prosecution:

Pankaj PW-1 has stated that on 22.11.2005 he had an important work near the school. At about 12 p.m. while returning, he saw that accused Muvin and Firoj were taking Gaurav on a motorcycle from his school. In cross-examination, he denied the suggestion that he had not disclosed the fact during recording of his police statement Ex.D1, regarding seeing accused Muvin and Firoj taking Gaurav on motorcycle and stating the same for the first time in the court. He has also denied that he is elder cousin brother of deceased Gaurav.

Shanti Bai PW-2 has deposed in court as per the prosecution story and proved that she has lodged the missing report Ex.P1 and FIR Ex.P2. In cross-examination, she has admitted that Pankaj is the elder cousin brother of deceased Gaurav, who resides with them.

Ram PW-3 and Mohan PW-4 have not supported the prosecution. On a leading question asked from prosecution side they admitted the signature on memorandum of Saleem Ex.P3, Seizure memo of mobile Ex.P4, memorandum of accused Muvin and Firoj Ex.P5 and P6 respectively, seizure memo of motorcycle Ex.P7 and seizure memo of sword Ex.P8.

Devi Bai PW-5 has deposed in court like Shanti Bai PW-2. Apart from this, she has proved the identification of dead body and contents of identification memo Ex.P9.

Nodal Officer of Airtel Company Kapil PW-6 has duly proved the call details and related documents of sim no. 9826055222 and sim no. 7712322431 as per prosecution story. Call details are Ex.P10 and P11 respectively and Ex.P12 is the certificate u/s. 65B of Evidence Act received in this behalf. It is clear from the call details that the sim no. 9826055222 was being used prior to the incident till 21.11.2005 in mobile bearing I.M.E.I. No. 123456789 and the calls on 27.11.2005 and 29.11.2005 were made through sim no. 7712322431 on landline no. 3528250 using the same mobile number. According to this witness, each mobile has its unique IMEI number.

Nodal Officer of BSNL Sunil PW-7 has also duly proved call details of landline no. 3528250 Ex.P13 and Ex.P14 certificate u/s. 65B of Evidence Act issued in this regard, as per prosecution story.

Narayan PW-8 has deposed that police has examined the CCTV footage of his showroom related to the date of incidence i.e. 22.11.2005 and copied the relevant footage in their pendrive. In his cross examination, he has admitted the suggestion that CCTV footage was not clear and it was not possible to identify a person correctly.

Dr. Umesh Trivedi PW-9 has duly proved the contents of post-mortem report Ex.P15. As per the PM, the dead body was in two pieces. In his opinion death was caused by strangulation and probably the neck was cut down thereafter. In his opinion period of death was approximately before 4-5 days of examination. The witness stood firm during cross-examination.

Sub-inspector Umashankar PW-10 has stated that he has registered missing report Ex.P1 on 24.11.2005 as per version of Shanti Bai and registered FIR bearing crime no. 912/2005 on 01.12.2005. According to this witness, he has got installed the caller I.D. at the residence of Shanti Bai. He has duly obtained the call details and other documents related to sim no. 9826055222, 7712322431 and landline no. 3528250 from concerned Nodal Officers. He interrogated accused Saleem on 01.12.2005,

in which accused admitted the commission of crime along with other co-accused and revealed that the mobile used in crime is kept in a box, memorandum Ex.P3 was prepared and the mobile Article A-1, bearing IMEI No. 123456789 was recovered on the basis of information given by accused Saleem, seizure memo Ex.P4 was prepared. Memorandum Ex.P5 and P6 of accused Muvin and Firoj respectively were prepared u/s. 27 Evidence Act. A motorcycle and a sharp edged sword Article A-2 were recovered from accused Muvin and Firoj respectively and seizure memo Ex.P7 and P8 were prepared in this regard. Dead body was found on 01.12.2005 in two pieces from jungle which was sent to District Hospital for medical examination. He has produced the C.D. containing the CCTV footage of showroom of Narayan. Seized sword was sent to FSL for examination, FSL report is Ex.P16. In his cross-examination, he has admitted that FIR Ex.P2 has been lodged after 8 days of missing of deceased. It is true that neither blood stains have been found on seized sword in FSL report Ex.P16 nor blood stains were present on the sword at the time of seizure. It is true that Pankaj had not stated that he had seen accused Muvin and Firoj accompanying Gaurav on motorcycle during his police statement Ex.D1. No certificate u/s. 65B of Evidence Act has been produced with CCTV footage of showroom.

Evidence of defence-

Accused persons have not adduced any evidence in defence. However, in statements made u/s 313 CrPC, they denied all the incriminating facts and stated that they had been wrongly implicated. Apart from this, when accused Saleem was asked about mobile Article A-1 and both sim numbers in examination under Section 313 of CrPC, he has not given any explanation.

Arguments of prosecution-

The Public Prosecutor stated that the prosecution has discharged the burden of proving the case beyond reasonable doubt. The statements of the witnesses are trustworthy. It has been proved by cogent and reliable evidence that accused Muvin and Firoj were last seen together with deceased. It is also proved that the ransom calls were made through the mobile of accused Saleem. It has been requested that the accused persons be awarded capital punishment.

Arguments of Defence Counsel-

There is unreasonable delay of around 8 days in lodging the FIR. Independent witnesses of memorandum and seizure have not supported the prosecution story. Entire proceedings have been conducted by a single police officer, therefore, his evidence cannot be relied upon. Certificate under 65B Evidence Act has not been produced in relation to footage seized from showroom, so this evidence is immaterial. No human blood was found on sword, Article A-2. Identification of motorcycle of Muvin has not been conducted. Pankaj is cousin brother of deceased, so his evidence cannot be relied upon. All witnesses are relatives of deceased, therefore, their evidence is not fully trustworthy. It has been requested that accused persons be acquitted.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये -

अभियोजन का प्रकरण :-

अभियोजन कहानी यह है कि दिनांक 24.11.2005 को शाम लगभग 7 बजे मृतक गौरव की दादी शांति बाई ने इस आशय की गुमशुदगी रिपोर्ट कोतवाली में लेख करायी कि उसका पोता गौरव जो कक्षा 9वीं का छात्र है, वह दिनांक 22.11.2005 की दोपहर 12 बजे से स्कूल के समय के बाद से ही घर नहीं लौटा है और आसपास पता करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है। उक्त गुमशुदगी रिपोर्ट क्रमांक 100/05 उपनिरीक्षक उमाशंकर द्वारा लेख की गयी। जांच कथन के दौरान शांति बाई ने यह भी बताया कि दिनांक 27.11.2005 को शाम 04.32 बजे उनके लैण्डलाइन नंबर 3528250 पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया जिसने पांच लाख रूपए फिरौती की मांग की और न देने पर गौरव को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उनके घर पर कॉलर आई.डी. आदि यंत्र स्थापित किए। दिनांक 29.11.2005 को रात 9.12 बजे पुनः उक्त लैण्डलाइन पर कॉल आया जो कि सिम नंबर 9826055222 से किया गया था। फोन पर उसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी कि दो दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पैसे नहीं दिये गये हैं, यदि 24 घंटे के भीतर पैसे नहीं पहुंचाए गए तो वह गौरव को जान से मार देगा।

दिनांक 01.12.2005 को पुलिस उपनिरीक्षक उमाशंकर ने थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 912/2005 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अनुसंधान प्रारंभ किया। मृतक की दादी शांति बाई, मां देवी बाई व चचेरे बड़े भाई पंकज के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें उन्होंने दिनांक 22.12.2005 की दोपहर से मृतक का कोई पता न चलना व लैण्डलाइन पर अज्ञात व्यक्ति के कॉल आने की बात दोहराई। सिम नंबर 9826055222 का पता लगाया गया जो एयरटेल कम्पनी से संग्राम सिंह नामक व्यक्ति के नाम से जारी हुई थी। संग्राम सिंह के दस्तावेज फर्जी पाए गए और इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद मोबाइल के आई.एम.ई.आई. नंबर 123456789 की जांच में यह पाया गया कि घटना के पूर्व दिनांक 21.11.2005 तक उक्त मोबाइल में सिम नंबर 7712322431 का प्रयोग किया जा रहा था। उक्त सिम भी एयरटेल कम्पनी की थी, जो सलीम नाम के व्यक्ति को जारी की गयी थी। दिनांक 01.12.

2005 को शाम लगभग 7 बजे सलीम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी जिसमें उसने बताया कि उसने सह-आरोपी मुवीन व फिरोज के साथ मिलकर घटना की योजना बनायी थी, मुवीन व फिरोज दिनांक 22.11.2005 को दोपहर 11.30 बजे गौरव को स्कूल के बाहर से अपनी मोटरसायकल से उठाकर लाए। उन्होंने गौरव को एक बंद पड़े कारखाने में रखा था, उनकी पैसे की मांग पूरी न होने पर उन्होंने दिनांक 30.11.2005 की रात गौरव की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी मुवीन व फिरोज ने शव की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दिया और वे शव के दोनों हिस्सों को जंगल में दूर-दूर फेंक आए थे। घटना में प्रयुक्त मोबाइल उसने अपने घर में संदूक में छिपाकर रख दिया है। धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम लेख किये जाने के उपरांत आरोपी सलीम के घर में संदूक से घटना में प्रयुक्त मोबाइल साक्षी राम व मोहन के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। जंगल में तलाश करने पर एक स्थान पर शव का धड़ व थोड़ी दूरी पर कटा हुआ सिर बरामद हुआ जिसे परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया और इस संबंध में विस्तृत पंचनामा बनाया गया। सिर की पहचान मृतक की माता देवी बाई ने की, शिनाख्ती पंचनामा बनाया गया।

इसके बाद आरोपी मुवीन व फिरोज को भी हिरासत में लेकर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम लेख किये गये जिसमें उन्होंने आरोपी सलीम के साथ घटना कारित किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया। आरोपी मुवीन से एक मोटरसायकल जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी फिरोज द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर एक धारदार तलवार उसके घर से जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया, जिसे एफएसएल परीक्षण हेतु भेजा गया।

एयरटेल कम्पनी के नोडल अधिकारी कपिल से दोनों सिम जारी किये जाने संबंधी दस्तावेज व दोनों सिम की कॉल डिटेल्स आदि प्राप्त की गयी, जिसके संबंध में धारा 65-बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र भी विधिवत् प्राप्त किया गया। इसी प्रकार लैण्डलाइन कम्पनी बीएसएनएल के नोडल अधिकारी सुनील से लैण्डलाइन नंबर 3528250 की सुसंगत जानकारी व कॉल डिटेल्स विधिवत् प्राप्त की गयी।

विवेचक उमाशंकर ने पाया कि स्कूल के सामने स्थित शोरूम पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था और सुसंगत दिनांक व समय की फुटेज देखे जाने पर आरोपी मुवीन व फिरोज के समान दिखने वाले दो लडके, मृतक गौरव जैसे दिखने वाले एक बालक को मोटरसायकल पर बीच में बैठाकर ले जाते दिखे। फुटेज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। सुसंगत सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर सी.डी. बनवाकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी। अन्वेषण पूर्ण होने पर, अभियुक्तगण को अभियोजित किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :-

अभियुक्तगण ने दोषी न होने का अभिवाक किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन की साक्ष्य :-

पंकज अ.सा.1 ने बताया है कि उसे दिनांक 22.11.2005 को स्कूल के पास कोई जरूरी काम था। दोपहर लगभग 12 बजे वापस आते समय उसने गौरव के स्कूल के बाहर देखा कि आरोपी मुवीन व फिरोज, मोटरसायकल पर गौरव को बीच में बैठाकर ले जा रहे थे। प्रतिपरीक्षण में इस बात को गलत बताया है कि उसने आरोपी मुवीन व फिरोज को घटना के दिन मोटरसायकल पर

गौरव को ले जाते हुए देखने की बात पुलिस को प्रदर्श डी-1 का कथन देते समय नहीं बतायी थी और प्रथम बार न्यायालय में बता रहा है। इस बात को भी गलत बताया है कि वह मृतक गौरव का चचेरा भाई है।

शांति बाई अ.सा.2 ने अभियोजन कथानक अनुसार ही न्यायालय में साक्ष्य दी है और गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख कराना प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि पंकज, मृतक गौरव का चचेरा बड़ा भाई है, जो उनके साथ ही रहता है।

राम अ.सा.3 व मोहन अ.सा.4 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इन्होंने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी सलीम के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 3, मोबाइल जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 4, आरोपी मुवीन व फिरोज के मेमोरेण्डम क्रमशः प्रदर्श पी 5 व 6 तथा मोटरसायकल जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 7 व तलवार जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 8 पर हस्ताक्षर होने की बात को सही बताया है।

देवी बाई अ.सा.5 ने भी शांति बाई के समान ही कथन न्यायालय में किया है। इसके अलावा देवी बाई असा.2 ने शव के सिर की शिनाख्त करना व शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी 9 की अंतर्वस्तु को प्रमाणित किया है।

एयरटेल कम्पनी के नोडल अधिकारी **कपिल अ.सा.6** ने अभियोजन कथानक अनुसार ही सिम नंबर 9826055222 तथा सिम नंबर 7712322431 की कॉल डिटेल्स व संबंधित दस्तावेजों को विधिवत् प्रमाणित किया है। कॉल डिटेल्स क्रमशः प्रदर्श पी 10 व 11 हैं, जिनके संबंध में धारा 65-बी साक्ष्य अधि० का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 12 है। उक्त कॉल डिटेल्स में यह स्पष्ट है कि दिनांक 21.11.2005 तक मोबाइल, जिसका आई.एम.ई.आई.नंबर 123456789 है, में सिम नंबर 9826055222 प्रयुक्त की जा रही थी, उसी मोबाइल से सिम नंबर 7712322431 से दिनांक 27.11.05 को व दिनांक 29.11.05 को लैण्डलाइन नंबर 3528250 पर कॉल किये गये थे। साक्षी के अनुसार हर मोबाइल का आई.एम.ई.आई. नंबर विशिष्ट होता है।

इसी प्रकार बीएसएनएल के नोडल अधिकारी **सुनील अ.सा.7** ने भी अभियोजन कथानक अनुसार कथन करते हुए लैण्डलाइन नंबर 3528250 की कॉल डिटेल्स प्रदर्श पी 13 व धारा 65बी साक्ष्य अधि० के प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 14 को विधिवत् प्रमाणित किया है।

नारायण अ.सा.8 ने बताया है कि पुलिस ने उसके शोरूम पर आकर घटना दिनांक 22.11.2005 की सीसीटीवी फुटेज देखी थी और पुलिस फुटेज को कॉपी करके पेन ड्राइव में ले गई थी। प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्टता नहीं थी और किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से पहचान पाना संभव नहीं था।

डा० उमेश त्रिवेदी अ.सा.9 ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 को विधिवत् प्रमाणित किया है, जिसके अनुसार मृतक का शव दो भागों में बंटा हुआ था। सिर व धड़ अलग-अलग था। उसके मत में गला दबाकर मृत्यु कारित किये जाने व तत्पश्चात् सिर को धड़ से काटकर अलग किए जाने की सम्भावना को भी व्यक्त किया गया है। उसके मत में मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 4-5 दिन पूर्व होना दर्शित किया गया। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में स्थिर रहा है।

उपनिरीक्षक उमाशंकर अ.सा.10 ने दिनांक 24.11.2005 को शांति बाई के बताए अनुसार प्रदर्श पी 1 की गुमशुदगी रिपोर्ट, दिनांक 01.12.2005 को अपराध क्रमांक 912/05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 लेखबद्ध करना बताया है। साक्षी के अनुसार उसने शांति बाई अ.सा.1 के घर पर कॉलर आई.डी. लगवाई थी, जांच के दौरान मोबाइल नंबर 9826055222 व 7712322431 तथा लैण्डलाइन नंबर 3528250 की कॉल डिटेल्स व दस्तावेज आदि संबंधित नोडल अधिकारी से विधिवत् प्राप्त किए थे। आरोपी सलीम को दिनांक 01.12.2005 को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उसने सहआरोपीगण के साथ घटना कारित करना व घटना में प्रयुक्त मोबाइल घर पर संदूक में होना बताया था, इस संबंध में प्रदर्श पी 3 का मेमोरेण्डम बनाया था। आरोपी सलीम द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर मोबाइल आर्टिकल- ए1 जप्त किया गया, जिसका आईएमईआई नंबर 123456789 था। इस बाबत जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 4 बनाया था। आरोपी मुवीन व फिरोज के मेमोरेण्डम क्रमशः प्रदर्श पी 5 व 6 लेख किये थे। आरोपी मुवीन से मोटरसायकल व आरोपी फिरोज द्वारा पेश किये जाने पर एक धारदार तलवार आर्टिकल-ए2 जप्त कर जप्ती पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी 7 व 8 बनाये थे। जंगल से दिनांक 01.12.05 को मृतक का घड़ व सिर मिले थे, जिन्हें चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा था। नारायण अ.सा.8 के शोरूम से सीसीटीवी फुटेज की सीडी लेकर पेश की है। घटना में जप्तशुदा तलवार को जांच हेतु एफएसएल भेजा था, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 है।

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 मृतक की गुमशुदगी के लगभग 8 दिन बाद लेख की गयी है। इस बात को भी सही बताया है कि तलवार की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 के अनुसार उसपर किसी प्रकार का कोई रक्त नहीं पाया गया है और न ही तलवार जप्त किये जाते समय उसपर रक्त के कोई निशान थे। इस बात को सही बताया है कि साक्षी पंकज ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 के दौरान दिनांक 22.11.2005 को आरोपी मुवीन व फिरोज को मोटरसायकल पर गौरव को ले जाने की बात नहीं बतायी थी। शोरूम के सीसीटीवी फुटेज के संबंध में धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं है।

बचाव साक्ष्य :-

अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्त कथन धारा 313 द.प्र.स. में सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए उन्हें झूठा फंसाया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त सलीम से आर्टिकल-ए1 के मोबाइल व दोनों सिम नंबर के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर उसने धारा 313 द.प्र.स. के तहत कुछ न कहना बताया है।

अभियोजक का तर्क :-

लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित कर अपने भार को उन्मोचित किया है। गवाहों के बयान विश्वसनीय हैं। प्रस्तुत विश्वसनीय साक्ष्य से यह सिद्ध है कि अभियुक्त मुवीन व फिरोज को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था। अभियुक्त सलीम के मोबाइल से ही फिरौती के कॉल किया जाना प्रमाणित है। अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :-

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने में लगभग 8 दिन का अयुक्तियुक्त विलंब है। मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी है, जिस कारण उसकी साक्ष्य पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। शोरूम से जप्त फुटेज के संबंध में धारा 65-बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त साक्ष्य महत्वहीन है। आर्टिकल-ए2 की तलवार पर मानव रक्त नहीं मिला, आरोपी मुवीन की मोटरसायकल की भी कोई पहचान नहीं करायी गयी। साक्षी पंकज मृतक गौरव का चचेरा भाई है, जिसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी साक्षीगण मृतक के रिश्तेदार हैं, जिस कारण उनकी साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है। अतः दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
